न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/133/2021	2021/248	26.08.2021	27.06.2022

01. सुन्दरलाल पुत्र मंगु जाति माली निवासी ग्राम गुजुकी तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 10.08.2021 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 78/2021

उपस्थितः—

1. श्री अजय कुमार जांगीड —**वकील अपीलान्ट**

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 10.08.2021 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम गुजुकी के आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गुजुकी के आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर अपीलान्ट कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। बल्कि आराजी खसरा नं0 699 की पैमाईश के लिए व आराजी खसरा नं0 748 की पैमाईश के लिए आवेदन पेश किया गया था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पैमाईश नही की गई, जो रकबा विवादित बताया गया है वो खसरा नं0 699 की भूमि ना होकर खसरा नं0 778 की अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है, जो अतिक्रमी की तारीख में नही आता है। अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 को अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 10.08.2021 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 25.08.2021 को भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि भविष्य में खसरा नं0 699 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम गुजुकी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करूंगा और ना ही जबरन कब्जा करूंगा तथा रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। अपीलान्ट द्वारा पेश शपथ पत्र का अवलोकन किया अपीलान्ट के शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाकर तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट द्वारा पुनः रास्ता रोका जाता है तो अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.08.2021 यथावत माना जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)